भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2813**

**(जिसका उत्तर 20 मार्च, 2018/29 फाल्‍गुन, 1939 (शक) को दिया जाना है)**

**राज्यों में अंशदायी पेंशन योजना का क्रियान्वयन**

2813. डा॰ के॰ वी॰ पी॰ रामचन्द्र रावः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राज्यों और इसके कर्मचारियों हेतु अंशदायी पेंशन योजना (सी पी एस) के क्रियान्वयन को अनिवार्य बना दिया गया था, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या राज्य इस योजना को छोड़ सकते हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)**

(क) और (ख): भारत सरकार ने दिनांक 22.12.2003 की अधिसूचना द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए राष्‍ट्रीय पेंशन प्रणाली (पूर्व में नई पेंशन योजना के नाम से जानी जाती थी) की शुरूआत की है और इसे दिनांक 01.01.2004 को या उसके पश्‍चात कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारियों के लिए अनिवार्य बनाया है। उक्‍त अधिसूचना को पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की धारा 20 के अंतर्गत एनपीएस के रूप में जाना जाता है, संसद द्वारा पारित किया गया है तथा अधिसूचित किया गया है जो कि दिनांक 01.02.2014 से प्रभावी है।

*त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल राज्‍य सरकारों को छोड़कर अन्‍य सभी राज्‍य सरकारों ने एनपीएस को अधिसूचित किया है तथा अपनी अधिसूचना में उल्लिखित उनके अपनाए जाने की तिथि या उसके पश्‍चात कार्यभार ग्रहण* करने वाले अपने कर्मचारियों के लिए इसे अनिवार्य बनाया है। *राज्य सरकारों को अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस अधिसूचित करने हेतु* पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की धारा 12(4) के अंतर्गत शक्तियां प्रदान की गई हैं।

राज्‍य सरकारों ने एनपीएस से निकलने के लिए अपनी अधिसूचनाओं में कोई उपबंध नहीं किए हैं।

\*\*\*\*\*